

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / एनआरएचएम / जीएनएम / 216 / 2017 / 305


दिनांक: 06/12/17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जयपुर-प्रथम।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 6207/2009 में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2016 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है श्रीमती कमल कुमारी (एससी महिला वर्ग) जीएनएम अभ्यर्थी पुत्री श्री तुलसीराम नोगिया निवासी जयपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 6207/2009 में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2016 की पालना में एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक 225 दिनांक 19.07.2017 द्वारा जयपुर-प्रथम जिले की वरियता सूची के क्रम संख्या 506 पर उनका वरियतानुसार/नियमानुसार चयन एससी महिला के पद विरुद्ध किया गया।


अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना में श्रीमती कमल कुमारी (एससी महिला वर्ग) को एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जीएनएम हेतु, पूर्व में प्रेषित अनुबंध की शर्तों की पालना कराते हुए आदेश जारी होने के 7 दिवस में कार्यग्रहण कराते हुए पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक:

क्रमांक :- नर्सिंग / एनआरएचएम / जीएनएम / 216 / 2017 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजि सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम, मुख्यालय।
3. परियोजना निदेशक (एनएचएम), मुख्यालय।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर